



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

ई-मेल/Mail : registrar.mgahv@gmail.com

क्रमांक : 003/2003/ का.प.ग./10(III)/2019

दिनांक : 30.09.2020

अधिसूचना

विश्वविद्यालय के परिनियम-12(1)(iii) में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत माननीय कुलपति द्वारा प्रो. नृपेन्द्र प्रसाद मोदी, अधिष्ठाता, संस्कृति विद्यापीठ को, चक्राधार पर वरिष्ठतानुक्रम में तत्काल प्रभाव से 3 वर्ष अथवा संकायाध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, के लिए कार्य-परिषद का सदस्य नियुक्त किया जाता है।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज
कादर नवाज खान 30/09/2020
(कार्यकारी कुलसचिव)

प्रति :

प्रो. नृपेन्द्र प्रसाद मोदी
अधिष्ठाता
संस्कृति विद्यापीठ
म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा।

प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :

1. माननीय कुलाधिपति, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा।
2. श्री पी. प्रवीण सिद्धार्थ, विशेष कर्तव्याधिकारी, राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
3. सचिव, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
4. संयुक्त सचिव (के.वि.), शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
5. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली
6. श्री विजय कुमार, अवर सचिव, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
7. विश्वविद्यालय की कार्य-परिषद के समस्त सदस्यगण
8. कुलपति कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा।
9. प्रतिकुलपति द्वय कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा।
10. कुलसचिव कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा।
11. वित्त विभाग, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा।
12. विश्वविद्यालय के समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक एवं क्षेत्रीय केंद्रों के अकादमिक निदेशक/प्रभारी
13. सामान्य प्रशासन विभाग, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा।
14. लीला, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु — 30/09/2020
15. कार्यालय प्रति।